



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250829
CG-DL-E-22122023-250829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 842]
No. 842]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2023/अग्रहायण 29, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2023/AGRAHAYANA 29, 1945

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2023

फा. सं. सेक/एन.सी.आई.एस.एम.रिग(1)/2023- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 55 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (एच)(आई)(जे)(के)(एल)(एम)(एन)(ओ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय परीक्षा) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।**
- परिभाषाएँ**-(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, अधिनियम, 2020 (2020 का 14);
 - "परिशिष्ट" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ा एक परिशिष्ट है;
 - "आयोग" का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से है;
 - "परामर्श प्राधिकरण"
- (i) केंद्रीय परामर्श समिति के संबंध में अखिल भारतीय आरक्षित श्रेणी (कोटा) सीटों के लिए परामर्श और सीट आवंटन आयोजित करने के लिए प्राधिकरण**

- (ii) राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आरक्षित श्रेणी (कोटा) सीटों के लिए परामर्श और सीट आवंटन आयोजित करने के लिए प्राधिकरण
- (ड) "नामित प्राधिकारी" का अर्थ है इन विनियमों में उल्लिखित या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं की योजना बनाने, समन्वय और संचालन के लिए आयोग द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण या प्राधिकरण या आयोग द्वारा स्थापित एक परीक्षा प्रकोष्ठ।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।
3. **परीक्षा प्रकोष्ठ.-** (1) परीक्षा प्रकोष्ठ आयोग द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसमें एक परीक्षा नियंत्रक और दो उप परीक्षा नियंत्रक शामिल होंगे, एक आयुर्वेद बोर्ड के लिए और दूसरा यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिगपा बोर्ड के लिए।
- (2) परीक्षा प्रकोष्ठ उक्त अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत निर्दिष्ट या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए परीक्षणों या परीक्षाओं का आयोजन करेगा।
- (3) परीक्षा प्रकोष्ठ चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पाने वाले छात्रों के विवरण को निम्नलिखित प्रकार से सत्यापित करेगा, अर्थात्: -
- (क) जिन चिकित्सा संस्थानों को उस शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है, उन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत करने के माध्यम, निर्दिष्ट निर्धारित तिथि, और समय के भीतर इन विनियमों से जुड़े परिशिष्ट-I, II, III, IV और V में निर्दिष्ट प्रारूप में स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के विवरण के आंकड़े प्रस्तुत करना होगा;
- (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022, के विनियम 5 के उपविनियम (7) के खंड (ii), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022 के विनियम 4 के उप-विनियम (7) के खंड (ii), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022 के विनियम 4 के उपविनियम (7) के खंड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों (स्नातक) के विवरण को परिशिष्ट- I में दिए गए प्रारूप में, नामित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा परिणामों के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया जाएगा;
- (ग) किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या, जैसी भी स्थिति हो, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा उस शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमत सीटों की संख्या के भीतर होगी;
- (घ) योग्य विदेशी राष्ट्रीय उम्मीदवारों को छोड़कर सभी छात्रों को, जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के परामर्श प्राधिकरण द्वारा आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रम (काउंसलिंग) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा;
- (ड) चिकित्सा संस्थानों द्वारा परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किए गए स्नातक उम्मीदवारों के विवरण को संबंधित परामर्श प्राधिकरण द्वारा (परिशिष्ट-II में दिए गए प्रारूप में) प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली नामित अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के साथ सत्यापित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्रों को संबंधित परामर्श प्राधिकरण जैसे कि केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परामर्श प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से प्रवेश दिया गया था;
- (च) चिकित्सा संस्थानों द्वारा (परिशिष्ट-III में दिए गए प्रारूप में) प्रस्तुत उम्मीदवारों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विवरण को नामित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा परिणामों के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया जाएगा;
- (छ) चिकित्सा संस्थानों द्वारा (परिशिष्ट-III में दिए गए प्रारूप में) प्रस्तुत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों का विवरण संबंधित परामर्श प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के साथ सत्यापित किया जाएगा (परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रारूप में);

- (ज) परीक्षा प्रकोष्ठ विसंगतियों, यदि कोई हो, के साथ आंकड़ों के सत्यापन प्रतिवेदन (संस्थानवार) संबंधित बोर्ड जैसे कि आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, को विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज़ आवंटित करने के निर्देश के लिए प्रस्तुत करेगा;
- (झ) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के प्रवेश पाने वाले प्रत्येक स्नातक छात्र को निम्नलिखित के अंतर्गत विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज़ आवंटित किए जाएंगे:
- (i) विनियम 3 के उप-विनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रवेश पाने वाले छात्रों के विवरण के आंकड़े आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी और सोवा-रिग्पा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कट-ऑफ तिथि से तीस दिनों के भीतर अस्थायी आयुष पहचान दस्तावेज़ आवंटित किया जाएगा और ऐसे अस्थायी पहचान दस्तावेज़ों में प्रवेश का वर्ष और उसके बाद आयुर्वेद- एवाईयू, यूनानी-यूएनआई, सिद्ध-एसआईडी और सोवा-रिग्पा-एसआरजी के लिए संबंधित स्ट्रीम और छात्र की क्रम संख्या अंकित होगी। उदाहरण के लिए-2021 एवाईयू 25424;
- (ii) आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत प्रवेश पाने वाले छात्रों के सत्यापित आंकड़े को स्वीकृति देगा और विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज़ और विशिष्ट के आवंटन के लिए परीक्षा प्रकोष्ठ को निर्देशित करेगा। आयुष पहचान दस्तावेज़ में प्रवेश का वर्ष और उसके बाद संस्थान का पहचान दस्तावेज़, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संक्षिप्त नाम और छात्र का क्रमांक अंकित होगा। उदाहरण के लिए- 2021 एवाईयू 0459 यूके 17256;
- (iii) एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में छात्र के स्थानांतरण के प्रकरण में, विशिष्ट आयुष पहचान दस्तावेज़ को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा: -
- (क) स्थानांतरण ('ट्रांसफर') को दर्शाने वाला अक्षर 'टी' स्ट्रीम के संक्षिप्त नाम यानी एवाईटी, यूएनटी, एसआईटी और एसआरटी में डाला जाएगा;
- (ख) संस्थागत पहचान दस्तावेज़ और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोड को नए संस्थागत पहचान दस्तावेज़ और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोड, जैसा लागू हो, से बदल दिया जाएगा;
- उदाहरण के लिए: यदि आयुष आईडी 2021- एवाईयू 0459-यूके 17256 वाला एक छात्र उत्तराखंड कॉलेज (ए.वाई.यू.0459) (यूके) से राजस्थान कॉलेज (एवाईयू 0232) (आरजे) में स्थानांतरित हो गया है, तो नवीन आयुष पहचान दस्तावेज़ 2021 AYT0232 RJ 17256 होगा;
- (iv) विसंगतियों के प्रकरण में या कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत विवरण सही न होने के प्रकरण में, ऐसे छात्रों के अस्थायी आयुष पहचान दस्तावेज़ को वापस ले लिया जाएगा और प्रकरण को यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को भेज दिया जाएगा।
- (4) यदि कोई चिकित्सा संस्थान विनियम 3 के उपविनियम 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट आंकड़े प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो परीक्षा प्रकोष्ठ भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को अधिकतम एक लाख रुपये प्रति दिन जुर्माना राशि लगाने की सिफारिश करेगा या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट जुर्माना राशि लगाने की सिफारिश करेगा और ऐसी राशि का भुगतान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से किया जाएगा;
- (5) परीक्षा नियंत्रक के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:-
- (क) परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्यों की जांच करना;
- (ख) आयोग के सभापति और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के संबंधित बोर्डों के अध्यक्षों के परामर्श से इन विनियमों में निर्दिष्ट परीक्षाओं का संचालन करना;
- (ग) प्रत्येक परीक्षा का तिथि कैलेंडर तैयार करना और निर्धारित गतिविधियों को निष्पादित करना;
- (घ) विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए उपयुक्त अभिकरण की पहचान करना और उसकी स्वीकृति के लिए सलाहकार समिति को सुझाव देना;
- (ङ) निर्धारित परीक्षा आयोजित करने में अनुमोदित अभिकरण के साथ समन्वय करना;

- (च) आयोग के अनुमोदन से परामर्श प्राधिकरणों (केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के साथ योग्य उम्मीदवारों के आंकड़े को साझा करना।
- (छ) परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्यों के निष्पादन हेतु उप परीक्षा नियंत्रक को कार्य सौंपना; और
- (ज) इस संबंध में समय-समय पर आयोग के सभापति और आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड के अध्यक्षों द्वारा सौंपी गई कोई अन्य गतिविधि।
- (6) (क). आयोग परीक्षा प्रकोष्ठ के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उप-समितियों का गठन कर सकता है;
- (ख) परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा संबंधित बोर्डों के परामर्श से एक सामान्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।
- (i) सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-
- (क) सभापति, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग - अध्यक्ष;
- (ख) अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड - सदस्य;
- (ग) अध्यक्ष, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड - सदस्य;
- (घ) आयुष मंत्रालय से नामांकित व्यक्ति - सदस्य;
- (ङ) चार प्राचार्य (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा से एक-एक) - सदस्य; और
- (च) परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव।
- (ii) विचारार्थ विषय: -
- (क) सलाहकार समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या आयोग द्वारा समिति का पुनर्गठन, जो भी पहले हो, होगा;
- (ख) समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी;
- (ग) समिति आवश्यकता के अनुसार और अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी भी विशेषज्ञ-सदस्य को सहयोजित कर सकती है;
- (घ) समिति परीक्षा या परीक्षण आयोजित करने के लिए उपयुक्त अभिकरण को अनुमोदन देगी।
4. आयुर्वेद एवं यूनानी और सिद्ध के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा -(1) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण के माध्यम से या आयोग द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (2) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा परीक्षा में उपस्थित होने और आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड क्रमशः भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- (3) आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के स्नातक पाठ्यक्रमों में परामर्श और प्रवेश की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022, भारतीय चिकित्सा पद्धति (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार होगी।
5. सोवा-रिग्पा - राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा: (1) सोवा-रिग्पा के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा सभी सोवा-रिग्पा संस्थानों में सोवा-रिग्पा के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक नामित प्राधिकरण, अभिकरण या संस्थान के माध्यम से स्वतंत्र रूप से आयोजित की जाएगी।
- (2) परीक्षा ऑफलाइन या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट मोड में आयोजित की जाएगी।

- (3) सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने और सोवा-रिग्पा संस्थान के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट होंगे।
- (4) सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा और ऐसी योग्यता सूची केवल उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होगी।
- (5) सोवा-रिग्पा के स्नातक पाठ्यक्रमों में परामर्श और प्रवेश की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- (6) सोवा-रिग्पा संस्थान, परिशिष्ट-V के अनुसार या जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, सत्यापन के लिए एवं सोवा-रिग्पा संस्थान में प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (7) (क). सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के लिए तकनीकी समिति में शामिल होंगे -
- परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष;
 - सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के निदेशक के रूप में नामित अभिकरण से नामित व्यक्ति - सदस्य;
 - सोवा-रिग्पा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के मुख्य समन्वयक के रूप में नामित अभिकरण से नामांकित व्यक्ति - सदस्य;
 - सदस्य, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड - सदस्य;
 - सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति - चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड - सदस्य;
 - सोवा-रिग्पा पद्धति के तीन विशेषज्ञ - सदस्य; और
 - उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव
- (ख). विचारार्थ विषय:
- समिति का कार्यकाल दो क्रमिक परीक्षाओं या आयोग द्वारा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, के लिए होगा;
 - समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी;
 - समिति आवश्यकता के अनुसार और यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी भी विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकती है;
 - समिति पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करेगी और प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का एक 'ब्लू प्रिंट' तैयार करेगी;
 - समिति संपूर्ण परीक्षा आयोजनों का कार्यक्रम तैयार करेगी;
 - समिति परीक्षा केंद्रों के मुख्य अधीक्षक, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पर्यवेक्षकों, प्रश्न पत्र समायोजन के लिए विशेषज्ञों और मध्यस्थ (मॉडरेटर) और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की सूची तैयार करेगी;
 - समिति परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट अभिकरण के साथ समन्वय करेगी;
 - समिति सूचना विवरणिका और परीक्षा-परामर्श-प्रवेश दिशानिर्देश तैयार करेगी; और
 - समिति परीक्षाओं से जुड़े मामलों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।
6. नेशनल एग्जिट टेस्ट - (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा जैसे प्रत्येक शिक्षण का एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोग द्वारा एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

- (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंधित विषय के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और एक वर्ष की अनिवार्य निवासी सेवा (इंटरनशिप) पूर्ण करने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
- (3) यह परीक्षा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा, जैसी भी स्थिति हो, शिक्षण में एक चिकित्सक के रूप में नैदानिक योग्यता, चिकित्सा आचार की समझ और मेडिको-कानूनी मामलों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए समस्या आधारित होगी।
- (4) नेशनल एग्जिट टेस्ट, सामान्यतः प्रत्येक वर्ष फरवरी और अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा।
- (5) नेशनल एग्जिट टेस्ट में बैठने के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी।-
- (क) एक प्रशिक्षु जिसने नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम दो सौ सत्तर दिन की अनिवार्य निवासी सेवा (इंटरनशिप) पूर्ण कर ली हो; या
- (ख) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा के स्नातक जिन्होंने एक वर्ष की अनिवार्य इंटरनशिप पूर्ण कर ली है; या
- (ग) विदेशी नागरिक जिनकी चिकित्सा योग्यता अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
- (6) नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण किए बिना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोई भी स्नातक राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर, जैसी भी स्थिति हो, में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।
- (7) नेशनल एग्जिट टेस्ट में उपस्थित होने के प्रयासों के लिए कोई सीमा नहीं होगी और पचास प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य घोषित किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (8) जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट में योग्य हैं, वे भारतीय चिकित्सा पद्धति - आचार एवं पंजीयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने के अधीन एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप पूर्ण करने के पश्चात ही चिकित्सा व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होंगे।
- (9) जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर सके, उनकी स्नातक उपाधि को अन्य सभी रोजगार के अवसरों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए माना जाएगा जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है।
- (10) नेशनल एग्जिट टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अभ्यास करने के लिए, या नैदानिक कार्य से जुड़ी किसी भी नौकरी के लिए, या किसी भी पद के लिए जहां चिकित्सा पंजीयन अनिवार्य है, या आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता होगी।
- (11) (क). नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए तकनीकी समिति में शामिल होंगे -
 - (i) परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष;
 - (ii) नामित अभिकरण से नामांकित व्यक्ति - सदस्य;
 - (iii) सदस्य, आयुर्वेद बोर्ड - सदस्य;
 - (iv) सदस्य, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड - सदस्य;
 - (v) सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार एवं पंजीयन बोर्ड - सदस्य;
 - (vi) चार विशेषज्ञ - आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा से एक-एक - सदस्य;
 - (vii) स्वास्थ्य शिक्षा प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य; और
 - (viii) उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव।

ख. विचारार्थ विषय:

- (i) समिति का कार्यकाल चार क्रमिक परीक्षाओं या आयोग द्वारा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, तक होगा;
- (ii) समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी;
- (iii) समिति आवश्यकता के अनुसार और अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड या अध्यक्ष, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से किसी भी विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकती है;
- (iv) समिति प्रत्येक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करेगी और प्रश्न पत्र का 'ब्लू प्रिंट' तैयार करेगी;
- (v) समिति प्रश्नपत्र समायोजन के लिए विशेषज्ञों और मध्यस्थ (मॉडरेटर) की पहचान करेगी;
- (vi) समिति परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट अभिकरण के साथ समन्वय करेगी;
- (vii) समिति आवश्यक सूचना विवरणिका और दिशानिर्देश तैयार करेगी; और
- (viii) समिति परीक्षाओं से जुड़े प्रकरणों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

7. अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा-(1) अधिनियम में निर्दिष्ट स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के रूप में भी जानी जाती है।

- (2) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संबंधित विषयों के लिए योग्यता परीक्षा सहित अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (3) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा सामान्यतः उस शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में या आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर आयोजित की जाएगी।
- (4) स्नातक उपाधि धारक जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी जिन्होंने 30 अप्रैल तक या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसार अपनी इंटरशिप पूर्ण कर ली है, वे अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं।
- (5) प्रवेश के समय, उम्मीदवार को राज्य रजिस्टर या केंद्र शासित प्रदेश रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर, जैसी भी स्थिति हो, में एक चिकित्सा व्यवसाय के रूप में नामांकित या पंजीकृत होना चाहिए।
- (6) अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा परिणाम प्रत्येक विषय जैसे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा अलग से घोषित किए जाएंगे और इस प्रकार घोषित परिणाम केवल उस शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होंगे।
- (7) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में परामर्श और प्रवेश की प्रक्रिया समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- (8) क. अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के लिए तकनीकी समिति में शामिल होंगे-
 - (i) परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष;
 - (ii) नामित अभिकरण से नामांकित व्यक्ति - सदस्य;
 - (iii) सदस्य, आयुर्वेद बोर्ड - सदस्य;
 - (iv) सदस्य, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा बोर्ड - सदस्य;
 - (v) सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति - चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड - सदस्य;
 - (vi) स्वास्थ्य शिक्षा प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य;
 - (vii) तीन विशेषज्ञ - आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से एक-एक - सदस्य; और
 - (viii) उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव।

ख. विचारार्थ विषय:

- (i) समिति का कार्यकाल दो क्रमिक परीक्षाओं या आयोग द्वारा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, के लिए होगा;
 - (ii) समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी;
 - (iii) समिति आवश्यकता के अनुसार और अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड या अध्यक्ष, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से किसी भी विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकती है;
 - (iv) समिति पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करेगी और प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का एक 'ब्लू प्रिंट' तैयार करेगी;
 - (v) समिति प्रश्नपत्र समायोजन के लिए विशेषज्ञों और मध्यस्थ (मॉडरेटर) की पहचान करेगी;
 - (vi) समिति परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट अभिकरण के साथ समन्वय करेगी;
 - (vii) समिति आवश्यक सूचना विवरणिका और दिशानिर्देश तैयार करेगी; तथा
 - (viii) समिति परीक्षाओं से जुड़े प्रकरणों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।
8. भारतीय चिकित्सा पद्धति - राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा -(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा के प्रत्येक विषय के लिए आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक विषय के स्नातकोत्तर छात्रों, जो अध्यापन का व्यवसाय अपनाने के इच्छुक हैं, के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह सामान्यतः प्रत्येक वर्ष मई के माह में आयोजित की जाएगी।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में सहायक प्राध्यापक, सह- प्राध्यापक और प्राध्यापक के रूप में पहली बार शिक्षण का व्यवसाय अपनाने की इच्छा रखता है, जिसके पास भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट अपेक्षित आयु और योग्यताएं हैं, स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के तीस माह पूर्ण करने वाले स्नातकोत्तर उपाधि छात्र इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।
 - (3) शिक्षक के लिए आवश्यक योग्यता और आयु रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी जैसे गैर-शिक्षण व्यवसाय में काम कर रहा है या काम कर चुका है और शिक्षण व्यवसाय अपनाने की इच्छा रखता है, उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
 - (4) शिक्षक पात्रता भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और कोई भी व्यक्ति दस वर्ष की अवधि के भीतर शामिल होने में विफल रहता है या शिक्षण में दस वर्ष या उससे अधिक का विराम लेता है, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय में पुनः शामिल होने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए एक बार पुनः राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
 - (5) राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षण योग्यता; संचार कौशल; कक्षा प्रबंधन; शिक्षण, प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रौद्योगिकी; छात्र मनोविज्ञान; एंड्रगोगी; शिक्षाशास्त्र या ऐसा अन्य क्षेत्र जिसे समय-समय पर आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट किया जाए, का आकलन करने के लिए है।
 - (6) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड आयोग या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक होना चाहिए।
 - (7) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्य घोषित किया जाएगा।
 - (8) योग्य उम्मीदवारों को आयोग द्वारा 'शिक्षक पात्रता' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
 - (9) (क). भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तकनीकी समिति में शामिल होंगे-

- (i) परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष;
- (ii) नामित अभिकरण से नामांकित व्यक्ति - सदस्य;
- (iii) सदस्य, आयुर्वेद बोर्ड - सदस्य;
- (iv) सदस्य, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा बोर्ड - सदस्य;
- (v) सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड - सदस्य;
- (vi) स्वास्थ्य शिक्षा प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य;
- (vii) चार विशेषज्ञ - आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तथा सोवा-रिग्पा से एक-एक - सदस्य; और
- (viii) उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव।

ख. विचारार्थ विषय:

- (i) समिति का कार्यकाल दो क्रमिक परीक्षाओं या आयोग द्वारा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, के लिए होगा;
- (ii) समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी;
- (iii) समिति आवश्यकता के अनुसार और अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड या अध्यक्ष, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से किसी भी विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकती है;
- (iv) समिति पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट करेगी और प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का 'ब्लू प्रिंट' तैयार करेगी;
- (v) समिति प्रश्नपत्र समायोजन के लिए विशेषज्ञों और मध्यस्थ (मॉडरेटर) की पहचान करेगी;
- (vi) समिति परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट अभिकरण के साथ समन्वय करेगी;
- (vii) समिति आवश्यक सूचना विवरणिका और दिशानिर्देश तैयार करेगी; और
- (viii) समिति परीक्षाओं से जुड़े प्रकरणों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

9. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - प्री-आयुर्वेद- (1) बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए प्री-आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, जिसकी पाठ्यक्रम संरचना 2+4.5+1 (प्री-आयुर्वेद के दो वर्ष, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक के साठे चार वर्ष मेडिसिन और सर्जरी और एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप) वर्ष है, नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

- (2) राज्य बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र या 10+2 पैटर्न में उच्च माध्यमिक शिक्षा संचालित करने वाले किसी अन्य अनुमोदित बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-प्री-आयुर्वेद में उपस्थित होने के लिए पात्र माना जाएगा।
- (3) राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड या किसी अन्य अनुमोदित संस्कृत बोर्ड से उत्तीर्ण उम्मीदवार, जो राज्य बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र या किसी अन्य अनुमोदित बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा के समकक्ष है, को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-प्री-आयुर्वेद में भाग लेने के लिए पात्र माना जाएगा।
- (4) सामान्यतः राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - प्री-आयुर्वेद प्रत्येक वर्ष मई या जून माह के दौरान आयोजित की जाएगी।
- (5) परीक्षा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसी भी स्थिति हो, बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रतिरूप (पैटर्न) में होगी और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
- (6) उम्मीदवार को पूर्व-आयुर्वेद में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
- (7) आयोग द्वारा गठित प्री-आयुर्वेद परामर्श समिति काउंसलिंग आयोजित करेगी और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी।
- (8) प्री-आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा के संचालन की विधि और युक्ति, परिणामों का प्रकाशन, परामर्श और सीटों का आवंटन समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

- (9) प्री-आयुर्वेद में प्रवेश प्री-आयुर्वेद परामर्श समिति द्वारा आयोजित मार्गदर्शन (काउंसलिंग) के माध्यम से अखिल भारतीय सामान्य योग्यता (मेरिट) सूची पर होगा और ऐसी योग्यता (मेरिट) सूची केवल उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होगी।
- (10) (क). राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा प्री-आयुर्वेद के लिए तकनीकी समिति में शामिल होंगे-
- परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष;
 - नामित प्राधिकारी या संबद्ध विश्वविद्यालय से नामांकित व्यक्ति - सदस्य;
 - सदस्य, आयुर्वेद बोर्ड - सदस्य;
 - सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति - चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड - सदस्य;
 - दो विशेषज्ञ-आयुर्वेद-सदस्य; और
 - उप परीक्षा नियंत्रक - सदस्य सचिव।
- (ख) विचारार्थ विषय:
- समिति का कार्यकाल दो क्रमिक परीक्षाओं या आयोग द्वारा समिति के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, के लिए होगा;
 - समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी;
 - समिति अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड के अनुमोदन से किसी भी विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकती है ;
 - समिति पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करेगी और प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का एक 'ब्लू प्रिंट' तैयार करेगी;
 - समिति प्रश्नपत्र सेटिंग के लिए विशेषज्ञों और मध्यस्थ (मॉडरेटर) की पहचान करेगी;
 - समिति परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट अभिकरण के साथ समन्वय करेगी;
 - समिति आवश्यक सूचना विवरणिका और दिशानिर्देश तैयार करेगी; और
 - समिति परीक्षाओं से जुड़े मामलों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।
10. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, प्री-तिब- (1) बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए प्री-तिब के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा प्रत्येक वर्ष नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।
- एक वर्ष के प्री-तिब कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट राज्य सरकार या संबंधित राज्य शैक्षिक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समतुल्य पूर्वी योग्यता उत्तीर्ण करनी होगी।
 - प्री-तिब कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, प्री-तिब में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
 - आयोग द्वारा गठित प्री-तिब परामर्श समिति काउंसलिंग आयोजित करेगी और सीटें आवंटित करेगी।
 - प्री-तिब पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश आयोग द्वारा जारी अनुमति पत्र के अनुसार संस्थान की कुल प्रवेश क्षमता के अधिकतम दस प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा ना कि वार्षिक अनुमत क्षमता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
 - प्री-तिब पाठ्यक्रम में प्रवेश 'प्री-तिब परामर्श समिति' द्वारा आयोजित परामर्श के माध्यम से अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची पर होगा और ऐसी योग्यता सूची केवल उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए लागू होगी।
 - प्री-तिब प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की विधि और युक्ति, परिणामों का प्रकाशन, परामर्श और सीटों का आवंटन समय-समय पर आयोग द्वारा जारी प्री-तिब प्रवेश परीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
 - समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्री-तिब कार्यक्रम में रिक्त सीटें रिक्त ही रहेंगी।
 - (क). राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, प्री-तिब के लिए तकनीकी समिति में शामिल होंगे -

परिशिष्ट-IV

शैक्षणिक वर्ष..... के लिए परामर्श प्राधिकरण द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालयवार प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की समेकित जानकारी प्रस्तुत करने का प्रारूप

[विनियम 3(3)क. देखें]

क्रमांक	परामर्श प्राधिकरण	उम्मीदवार का नाम	जन्म की तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी. रोल नंबर	ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी. में प्राप्त अंक	ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी. परसेंटाइल	अखिल भारतीय ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी. रैंक	उम्मीदवार श्रेणी	आवंटित श्रेणी	आवंटित कोटा	पाठ्यक्रम का नाम	आवंटित महाविद्यालयों का नाम	आवंटित स्नातकोत्तर विशेषता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

परिशिष्ट-V

शैक्षणिक वर्ष..... के लिए सोवा रिग्या कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्नातक प्रवेश पाने वाले छात्रों की जानकारी के लिए प्रारूप...

[विनियम 3(3)क. देखें]

क्रमांक	एन.सी.आई.एस.एम. द्वारा प्रदान की गई संस्थागत आईडी	प्रवेश की तिथि	उम्मीदवार का नाम	जन्म की तिथि	पिता का नाम	माता का नाम	एन.सी.आई.एस.एम.-नीट	एस.आर. यूजी रोल नंबर	एन.सी.आई.एस.एम.-नीट	एस.आर. यूजी में प्राप्त अंक	एन.सी.आई.एस.एम.-नीट	एस.आर. यूजी प्रतिशत	अखिल भारतीय एन.सी.आई.एस.एम.-नीट	एस.आर. यूजी रैंक	उम्मीदवार श्रेणी	प्रवेश पाने वालों का कोटा	केंद्रीय या राज्य या यूटी काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)		

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December 2023

F. No. Sec/NCISM/Reg(1)/2023.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 the commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (National Examinations for Indian System of Medicine) Regulations, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
- (a) “Act” means the National Commission for Indian System of Medicine, Act, 2020 (14 of 2020);
 - (b) “Appendix” means an Appendix appended to these regulations;
 - (c) “Commission” means the National Commission for Indian System of Medicine;
 - (d) “Counseling authority”
 - (i) in relation to central counselling committee means the authority to conduct counselling and seat allotment for all India quota seats
 - (ii) in relation to State or Union territory means the authority to conduct counselling and seat allotment for state or Union Territory quota seats
 - (e) “designated authority” means any agency or authority authorised by the Commission or an examination cell established by the Commission, for planning, coordinating and conducting various national examinations as mentioned in these regulations or as specified by the commission from time to time.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act on the rules framed there under shall have the same meanings as respectively assigned to them their in.
3. Examination cell.- (1) The examination cell shall be established by the Commission and it shall consist of one controller of examination and two deputy controller of examination, one for Board of Ayurveda and other for Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa.
- (2) The examination cell shall conduct tests or examinations, specified under chapter IV of the Act or as may be decided by the Commission from time to time.
 - (3) The examination cell shall verify the details of students admitted for undergraduate, postgraduate courses in the Indian System of Medicine submitted by the medical institutions in the following manner, namely: -
 - (a) the medical institutions that have been permitted to admit the students for that academic session shall submit the data of information of the students admitted to undergraduate, postgraduate courses in the format specified in Appendix-I, II, III, IV and V appended to these regulations, within the stipulated date and time and mode of submission as specified by the Commission from time to time;
 - (b) details of the candidates (undergraduate) submitted by the medical institutions as specified in clause (ii) of Sub-regulation (7) of regulation 5 of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations-2022, clause (ii) of Sub-regulation (7) of regulation 4 of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations-2022 and clause (ii) of Sub-regulation (7) of regulation 4 of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations-2022, in the format provided in Appendix- I, shall be verified with the data of National Eligibility-cum-Entrance Test results provided by the designated authority;
 - (c) the number of students admitted to any undergraduate course or postgraduate course, as the case may be, shall be within the number of seats permitted for that academic year by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
 - (d) all students except eligible foreign national candidates, shall be admitted through counselling conducted by the counselling authority of the Central or State or Union territory as the case may be;
 - (e) the details of the candidates to the undergraduate, submitted by the medical institutions in the format provided in Appendix-I, shall be verified with the data provided by the respective counseling authority (in the format provided in Appendix-II), entrance test conducting designated agency to ensure that all the students were admitted through respective counseling authority such as Central or State or Union territory counseling authority, as the case may be;
 - (f) the details of the candidates postgraduate courses submitted by the medical institutions (in the format provided in Appendix-III) shall be verified with the data of All India AYUSH Postgraduate Entrance Test results provided by the designated authority;
 - (g) the details of the candidates to the postgraduate courses submitted by the medical institutions (in the format provided in Appendix-III) shall be verified with the data provided by the concerned counseling authority (in the format provided in Appendix-IV);

- (h) the examination cell shall submit the data verification report (institution wise) along with the discrepancies if any, to the respective boards such as Board of Ayurveda and Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be, for the direction to allotment the Unique Ayush identity document;
- (i) every admitted undergraduate student of Ayurveda, Siddha and Unani shall be allotted unique Ayush identity document as under:
- (i) the data of information of all the admitted students, submitted by the medical institutions as specified in clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 3 shall be allotted temporary Ayush identity document within thirty days from the cut-off date of admissions to Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa Undergraduate courses and such temporary identity document shall bear the year of admission followed by the respective stream for Ayurveda-AYU, Unani-UNI, Siddha-SID and Sowa-Rigpa- SRG and serial number of student,
for example-2021 AYU 25424;
- (ii) The Board of Ayurveda or the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be, shall approve the verified data of admitted students submitted by the examination cell and direct the examination cell for allotment of unique Ayush identity document and the Unique Ayush identity document shall bear the year of admission followed by institution identity document, abbreviation of state or union territory and serial number of the student,
for Example- 2021 AYU0459 UK 17256;
- (iii) in case of transfer of a student from one college to other college, the unique Ayush identity document shall be modified as under: -
- (A) letter 'T' denoting the 'Transfer' shall be inserted in the stream abbreviation that is AYT, UNT, SIT and SRT;
- (B) the institutional identity document and State or Union territory code shall be replaced with the new institutional identity document and State or Union territory code as applicable;
for example: in case a student having Ayush ID2021-AYU0459-UK 17256 transferred from Uttarakhand college (AYU0459) (UK) to Rajasthan College (AYU0232) (RJ),
the new Ayush identity document shall be 2021 AYT0232 RJ 17256;
- (iv) in case of discrepancies or the details submitted by the colleges are in- correct, temporary Ayush identity document of such students shall be withdrawn and the matter shall be forwarded to Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to proceed for disciplinary action as it deems fit.
- (4) if any the medical institution failed to submit the data as specified in clause (a) of sub regulation 3 of regulation 3, the examination cell shall recommends to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, to impose penalty amount not exceeding one Lakh rupees per day or as specified by the Commission from time to time and such amount shall be made through National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement into the National Commission fund for Indian System of Medicine;
- (5) The Controller of examinations shall have the following powers and functions, namely: -
- (a) To look into the affaires of examination cell;
- (b) to conduct examinations as specified in these regulations in consultation with Chairperson of the Commission and Presidents of concerned Boards of National Commission for Indian System of Medicine;
- (c) to prepare calendar of events of each examination and execute the activities as scheduled;
- (d) to identify of the suitable agency for conducting of various examinations and suggest to advisory committee for its approval;
- (e) to coordinate with the approved agency in conducting the assigned examination;
- (f) to share the data of eligible candidates to counselling authorities (central or state or Union territory) with the approval of the commission;
- (g) to assign the work to the deputy controller of examinations for the execution of the functions of the examination cell; and
- (h) any other activity as assigned by the Chairperson of the Commission and Presidents of the Board of Ayurveda and Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa from time to time in this regard.

- (6) (a) The Commission may constitute sub-committees in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 10 of the Act, for smooth functioning of the examination cell;
- (b) a common Advisory Committee for conducting the examination shall be constituted by the Commission in consultation with the respective Boards.
- (i) The Advisory Committee shall consist of—
- (A) Chairperson of National Commission for Indian System of Medicine – Chairperson;
 - (B) President, Board of Ayurveda – Member;
 - (C) President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa – Member;
 - (D) Nominee from Ministry of Ayush – Member;
 - (E) Four Principals (one each from Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa- Rigpa) – Member; and
 - (F) Controller of Examinations - Member Secretary.
- (ii) Terms of reference: -
- (A) the term of the Advisory Committee shall be three years or re-constitution of the Committee by the Commission, whichever is earlier;
 - (B) the Committee shall meet at least twice in a year;
 - (C) the committee can co-opt any expert-member as per requirement and with the approval of the Chairperson;
 - (D) the Committee shall approve suitable agency for conducting the examination or test.
4. National Eligibility-Cum-Entrance Test for Ayurveda, Unani and Siddha. - (1) National Eligibility-cum-Entrance Test for admission in undergraduate courses of Ayurveda, Siddha and Unani (ASU) shall be conducted in each academic year by the National Commission for Indian System of Medicine through the National Testing Agency or by any other agency designated by the Commission.
- (2) The eligibility criteria for appearing National Eligibility-cum-Entrance Test examination and admission in undergraduate courses of Ayurveda, Unani and Siddha shall be, as specified in regulation National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations, 2022, the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022 and the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 respectively.
- (3) The process of counseling and admissions to undergraduate courses of Ayurveda, Unani and Siddha shall be as per the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations, 2022, the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022 and the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 and the guidelines issued by the Commission from time to time.
5. National Eligibility-cum-Entrance Test to Sowa-Rigpa.- (1)The National Eligibility-cum-Entrance Test to undergraduate course of Sowa-Rigpa shall be conducted independently by the Commission every year through designated authority or agency or institute for the admission to the undergraduate course of Sowa-Rigpa in all Sowa-Rigpa institutions.
- (2) The examination shall be conducted offline or the mode as specified by the Commission from time to time.
- (3) The eligibility criteria for appearing National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa and admission to undergraduate courses of Sowa-Rigpa institution shall be as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations, 2022.
- (4) An All-India common merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum- Entrance Test for Sowa-Rigpa and the qualified candidates shall be considered for admission to undergraduate course as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations, 2022 and such merit list shall be applicable for that particular academic session only.
- (5) The process of counselling and admissions in undergraduate courses of Sowa-Rigpa shall be as per the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations, 2022 and admission guidelines issued by the Commission from time to time.

- (6) The institution of Sowa-Rigpa shall submit the details of admitted students as per the Appendix-V or as may be specified by the Commission, on or before cut-off date for admission into Sowa-Rigpa institution for verification.
- (7) (a) The Technical Committee for National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa shall consist of –
- (i) Controller of Examinations – Chairperson;
 - (ii) Nominee from designated agency as Director, National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa – Member;
 - (iii) Nominee from designated agency as Chief Co-ordinator, National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa – Member;
 - (iv) Member, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa – Member;
 - (v) Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine – Member;
 - (vi) Three Experts of Sowa-Rigpa system – Member; and
 - (vii) Deputy Controller of Examinations - Member Secretary
- (b) Terms of reference:
- (i) the term of the committee shall be for two successive examinations or re-constitution of the committee by the Commission, whichever is earlier;
 - (ii) the Committee shall meet as required;
 - (iii) the Committee can co-opt any expert member as per the requirement and with the approval of the President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa;
 - (iv) the Committee shall specify the syllabus and develop a 'blue print' of the question paper for every examination;
 - (v) the committee shall prepare the schedule of entire examination events;
 - (vi) the committee shall prepare the list of chief superintendent of exam centres, National Commission for Indian System of Medicine observers, experts and moderators for question paper setting and evaluators for evaluating answer scripts;
 - (vii) the Committee shall coordinate with the assigned agency for conducting examination;
 - (viii) the committee shall prepare information brochure and examination-counselling-admission guidelines; and
 - (ix) the Committee shall ensure the confidentiality of the matters connected with the examinations.
6. National Exit Test.- (1) A National Exit Test of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa of Indian System of Medicine shall be conducted by the Commission through a designated authority.
- (2) The National Exit Test shall be held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in the State Register or National Register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing one-year internship.
 - (3) The examination shall be problem based to test the clinical competency, understanding of medical ethics and the ability to deal with medico-legal cases as a medical practitioner in the discipline Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be.
 - (4) The National Exit Test, shall be conducted ordinarily in the month of February and August, every year.
 - (5) Eligibility for appearing National Exit Test shall be as under.-
 - (a) an intern who has completed minimum two hundred and seventy days of internship as on closing date of the submission of the application for National Exit Test; or
 - (b) graduates of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa who have completed one-year compulsory internship; or
 - (c) Foreign nationals whose medical qualification has been recognized under section 36 of the Act.
 - (6) Without qualifying National Exit Test, any graduate of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Unani Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery, shall not be eligible for enrollment in the State Register or National Register, as the case may be.

- (7) There shall not be any limit for attempts to appear in the National Exit Test and the candidates, securing fifty percent and above shall be declared as qualified in the National Exit Test and the list of qualified candidates shall be displayed on the website of the Commission.
- (8) the candidates who are qualified in the National Exit Test shall be eligible to get registered as medical practitioner only after completion of one-year compulsory rotatory internship subject to fulfillment of the criteria specified by Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine.
- (9) The graduation degree of the candidate who could not qualify the National Exit Test, shall be considered for all other job opportunities and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory.
- (10) Qualifying in National Exit Test and getting enrolled in a State Register and National Register, as the case may be, shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue post graduate course in Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa.
- (11) (a) The Technical Committee for National Exit Test shall consist of –
- (i) Controller of Examinations – Chairperson;
 - (ii) Nominee from designated agency – Member;
 - (iii) Member, Board of Ayurveda – Member;
 - (iv) Member, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa – Member;
 - (v) Member, Board of Ethics and Registration for Indian system of Medicine – Member;
 - (vi) Four Experts – one each from Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa– Member;
 - (vii) Health Education Technologist – Member; and
 - (viii) Deputy Controller of Examinations - Member Secretary.
- (b) Terms of reference:
- (i) the term of the committee shall be for four successive examinations or re-constitution of the committee by the Commission, whichever is earlier;
 - (ii) the Committee shall meet as required;
 - (iii) the Committee can co-opt any expert member as per the requirement and with the approval of the President, Board of Ayurveda or President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be;
 - (iv) the Committee shall specify the syllabus and develop the ‘blue print’ of the question paper for every examination;
 - (v) the Committee shall identify experts and moderators for question paper setting;
 - (vi) the Committee shall coordinate with the assigned agency for conducting examination;
 - (vii) the committee prepare required information brochure and guidelines; and
 - (viii) the Committee shall ensure the confidentiality of the matters connected with the examinations.
7. All India Ayush Post-Graduate Entrance Test.-(1) Post-Graduate National Entrance Test as specified in the Act, is also known as All India Ayush Post-Graduate Entrance Test.
- (2) All India Ayush Post-Graduate Entrance Test including aptitude test for respective disciplines of Indian Systems of Medicine shall be conducted by the designated authority.
 - (3) All India Ayush Post-Graduate Entrance Test shall be ordinarily conducted in the month of April every year or on the date as specified by the Commission for that academic year.
 - (4) Undergraduate Degree holders such as Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Bachelor of Unani Medicine and Surgery and Bachelor of Siddha Medicine and Surgery who have completed their internship by 30th of April or as specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time shall be eligible for appearing All India Ayush Post-Graduate Entrance Test.

- (5) At the time of admission, the candidate shall have enrolled or registered as a medical practitioner in State Register or Union Territory Register or National Register, as the case may be.
- (6) All India Ayush Postgraduate Entrance Test results shall be declared separately for each discipline such as Ayurveda, Siddha and Unani by the designated authority and the results thus declared shall be valid for that academic year only.
- (7) Process of counselling and admissions to post-graduate courses of Ayurveda, Siddha and Unani shall be as per the guidelines specified by the Commission from time to time.
- (8) (a) The Technical Committee for All India Ayush Post-Graduate Entrance Test shall consist of-
- (i) Controller of Examinations – Chairperson;
 - (ii) Nominee from designated agency – Member;
 - (iii) Member, Board of Ayurveda – Member;
 - (iv) Member, Board of Siddha, Unani and Sowa-Rigpa – Member;
 - (v) Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine – Member;
 - (vi) Health Education Technologist – Member;
 - (vii) Three Experts – one each from Ayurveda, Siddha and Unani – Member; and
 - (viii) Deputy Controller of Examinations - Member Secretary.
- (b) Terms of reference:
- (i) the term of the committee shall be for two successive examinations or re-constitution of the committee by the Commission, whichever is earlier;
 - (ii) the Committee shall meet as required;
 - (iii) the Committee can co-opt any expert member as per the requirement and with the approval of the President, Board of Ayurveda or President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be ;
 - (iv) the Committee shall specify the syllabus and develop a ‘blue print’ of the question paper for every examination;
 - (v) the Committee shall identify experts and moderators for question paper setting;
 - (vi) the Committee shall coordinate with the assigned agency for conducting examination;
 - (vii) the committee shall prepare required information brochures and guidelines; and
 - (viii) the Committee shall ensure the confidentiality of the matters connected with the examinations.
8. National Teachers’ Eligibility Test for Indian System of Medicine. - (1) The National Teachers’ Eligibility Test for each discipline of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa of Indian Systems of Medicine shall be conducted by the Commission through designated authority for the postgraduates of each discipline of Indian system of medicine who desire to take up teaching profession. It shall be conducted ordinarily in the month of May every year.
- (2) Any person who desires to take up teaching profession for the first time as Assistant Professor, Associate Professor and Professor in Indian System of Medicine who is possessing the requisite age and qualifications as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations, 2022; the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022; the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 and the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations, 2022; and the postgraduate degree students completed thirty months of Post-graduate Degree program shall be eligible to appear this examination.
 - (3) Any person having requisite qualifications and age for teacher who is working or has worked in non-teaching profession such as medical officers, research officers and desire to take up teaching profession, shall have to qualify the National Teachers’ Eligibility Test for Indian System of Medicine.

- (4) The Teachers' eligibility so acquired shall be valid for a period of ten years from the date of qualifying National Teachers' Eligibility Test for Indian System of Medicine and any person fails to join within a period of ten years or break of ten years or more in teaching profession, such persons shall have to qualify once again National Teachers' Eligibility Test for Indian System of Medicine to join or re-join teaching profession.
 - (5) The National Teachers' Eligibility test is to assess teaching aptitude; communication skills; classroom management; teaching, training and assessment technology; student psychology; andragogy; pedagogy or such other as may be specified by the Commission from time to time.
 - (6) The minimum eligibility criteria for appearing National Teachers' Eligibility Test for Indian System of Medicine shall be a post-graduate degree holder in a discipline recognized by the Commission or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine.
 - (7) A candidate secured minimum of fifty percent and above shall be declared as qualified in National Teachers' Eligibility Test for Indian System of Medicine.
 - (8) The qualified candidates shall be issued 'Teacher Eligibility' certificate by the Commission.
 - (9) (a) The Technical Committee of National Teachers' Eligibility Test for Indian System of Medicine shall consist of-
 - (i) Controller of Examinations – Chairperson;
 - (ii) Nominee from designated agency – Member;
 - (iii) Member, Board of Ayurveda – Member;
 - (iv) Member, Board of Siddha, Unani and Sowa-Rigpa – Member;
 - (v) Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine – Member;
 - (vi) Health Education Technologist – Member;
 - (vii) Four Experts – one each from Ayurveda, Siddha and Unani and Sowa-Rigpa – Member; and
 - (viii) Deputy Controller of Examinations - Member Secretary.
 - (b) Terms of reference:
 - (i) the term of the committee shall be for two successive examinations or re-constitution of the committee by the Commission, whichever is earlier;
 - (ii) the Committee shall meet as required;
 - (iii) the Committee can co-opt any expert member as per the requirement and with the approval of the President, Board of Ayurveda or President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, as the case may be ;
 - (iv) the Committee shall specify the syllabus and develop a 'blue print' of the question paper for every examination;
 - (v) the Committee shall identify experts and moderators for question paper setting;
 - (vi) the Committee shall coordinate with the assigned agency for conducting examination;
 - (vii) the committee shall prepare required information brochures and guidelines; and
 - (viii) the Committee shall ensure the confidentiality of the matters connected with the examinations.
9. National Eligibility-cum-Entrance Test - Pre-Ayurveda. -(1)The National Eligibility-cum-Entrance Test for Pre – Ayurveda Entrance Test for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery having the course structure 2+4.5+1(two years of Pre-Ayurveda, four and half years of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery and one year of compulsory rotatory internship) years, shall be conducted by the designated authority.
- (2) A candidate passed tenth standard from State Board or Central Board of Secondary Education or Indian Certificate of Secondary Education or any other approved Boards conducting higher secondary education in 10+2 pattern, shall be considered eligible for appearing National Eligibility-cum-Entrance Test - Pre- Ayurveda.
 - (3) A candidate passed from State Board or Central Board or any other approved Sanskrit Boards, that are equivalent to the tenth standard examination of State Board or Central Board of Secondary Education or

Indian Certificate of Secondary Education or any other approved board shall be considered eligible for appearing National Eligibility-cum-Entrance Test-Pre-Ayurveda.

- (4) Ordinarily the National Eligibility-cum-Entrance Test - Pre- Ayurveda shall be conducted during the month of May or June every year.
 - (5) The test shall be in the pattern of multiple-choice questions in online or offline, as the case may be, and be conducted at centres as specified by the Commission from time to time.
 - (6) Candidate shall obtain minimum of fifty percent marks to become eligible for admission to Pre-Ayurveda.
 - (7) The Pre-Ayurveda counselling committee constituted by the Commission shall conduct counselling and seats shall be allotted as per the guidelines issued by the Commission from time to time.
 - (8) The method and mode of conduction of Pre-Ayurveda Entrance Test, publication of results, counselling and allotment of seats shall be as per the guidelines issued by the Commission from time to time.
 - (9) The admission to Pre-Ayurveda shall be on all India common merit list, through counselling conducted by Pre-Ayurveda counselling committee and such merit list shall be applicable for that particular academic session only.
 - (10) (a) The Technical Committee for National Eligibility-cum-Entrance Test Pre-Ayurveda shall consist of-
 - (i) Controller of Examinations – Chairperson;
 - (ii) Nominee from designated authority or affiliating University – Member;
 - (iii) Member, Board of Ayurveda – Member;
 - (iv) Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine – Member;
 - (v) Two Experts –Ayurveda – Members; and
 - (vi) Deputy Controller of Examinations - Member Secretary.
 - (b) Terms of reference:
 - (i) the term of the committee shall be for two successive examinations or re-constitution of the committee by the Commission, whichever is earlier;
 - (ii) the Committee shall meet as required;
 - (iii) the Committee can co-opt any expert member as per the requirement and with the approval of the President, Board of Ayurveda;
 - (iv) the Committee shall specify the syllabus and develop a ‘blue print’ of the question paper for every examination;
 - (v) the Committee shall identify experts and moderators for question paper setting;
 - (vi) the Committee shall coordinate with the assigned agency for conducting examination;
 - (vii) the committee shall prepare required information brochures and guidelines; and
 - (viii) the Committee shall ensure the confidentiality of the matters connected with the examinations.
10. National Eligibility-cum-Entrance Test, Pre-Tib.- (1)The National Eligibility-cum-Entrance Test for Pre-Tib for Bachelor of Unani Medicine and Surgery shall be conducted every year by the designated authority.
- (2) Candidates seeking admission to one year Pre-Tib programme shall have passed oriental qualification equivalent to 10+2, recognised by the State Government or State Educational Board concerned as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022.
 - (3) Candidate shall obtain minimum fifty percent of marks in the National Eligibility-cum-Entrance Test, Pre-Tib to become eligible for the admission in Pre-Tib programme.
 - (4) Pre-Tib Counselling Committee constituted by the Commission shall conduct counselling and allot the seats.
 - (5) Admission for the Pre-Tib course shall be made not exceeding ten percent of seats out of the total intake capacity of the institute as per the letter of Permission issued by the Commission but not on the basis of yearly permitted intake capacity.

Appendix-IV

**Format for submission of consolidated information of admitted students Postgraduate college wise by
Counseling Authority for Academic Year.....
[See regulation 3(3)(a)]**

Sr. No.	Counseling Authority	Name of Candidate	Date of Birth	Father's Name	Mother's Name	AIAPGET Roll No.	Marks obtained in AIAPGET	AIAPGET Percentile	All India AIAPGET Rank	Category		Allotted Quota	Name of the Course	Name of the allotted colleges	Post-graduate Specialty Allotted
										Candidate Category	Allotted Category				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Appendix-V

**Format for Undergraduate Admitted students information to be submitted by Sowa Rigpa colleges for
Academic Year.....**

[See regulation 3(3)(a)]

Sr. No.	Institutional ID provided by NCISM	Date of Admission	Name of Candidate	Date of Birth	Father's Name	Mother's Name	NCISM-NEET SR UG Roll No.	Marks obtained in NCISM-NEET SR UG	NCISM-NEET SR UG Percentage	All India NCISM-NEET SR UG Rank	Category		Admitted Quota	Admitted through Central or State or UT Counseling
											Candidate Category	Admitted Category		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)